

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, आगरा।

संख्या 205/1/जि0आ0अ0/आगरा

दिनांक 11,

फरवरी, 2019


शुद्धिपत्र

इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 203/1/जि0आ0अ0/आगरा/व्यवस्थापन/ई-लाटरी/ 2019-20 दिनांक फरवरी 08, 2019 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भांग की दुकानों की प्रोसेसिंग फीस रू0 5000-00 तथा उस पर देय वैट/जी0एस0टी0 भी नियमानुसार ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। शेष नियम व शर्तें यथावत रहेगी।

जिला आबकारी अधिकारी,
आगरा।

संख्या: -उपरोक्तानुसार/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, आगरा को इस आशय से कि उपरोक्त शुद्धिपत्र का प्रकाशन अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में शासकीय दर पर न्यूनतम स्पेस में आगामी अंक में कराकर बिल जिला सूचनाधिकारी, आगरा से सत्यापित कराकर दो प्रतियों में भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी,
11/22/2019
आगरा।